अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 117, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021
No. 117, Port Blair, Tuesday, December 14, 2021

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 ।

सं. 107/2021/फा.सं. 1–878/2019–डी–IV.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 21/02/1985 की अधिसूचना सं. यू.–14039/2/83–ए.एन.एल. के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों कां प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 20/09/2021 को संघ लोक सेवा आयोग से जारी पत्र फा.सं. 3/30(02) 2020–भ.नि. द्वारा प्राप्त तथा इस संबंध में जारी सभी पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर तथा महात्मा गाँधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबन्दर की स्थापना में विभिन्न विषयों में धारित **सहायक प्रोफेसर** के वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर–लिपिक वर्गीय पदों के भर्ती नियम में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

1. <u>संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ</u> :–

   (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की सहायक प्रोफेसर के वर्ग 'क' राजपत्रित, अ–लिपिकीय पद की भर्ती (संशोधित) नियमावली, 2019 कहा जा सकेगा।

   (ii) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. <u>आवेदन</u> :–

   यह नियम इस नियमावली के साथ संलग्न अनुलग्नक के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पद के लिए ही लागू होंगे।

3. <u>पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान</u> :–

   पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची । के पैरा 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. <u>भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताएँ</u> :–

   उक्त पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे ।

5. <u>अयोग्यताएँ</u> :–

   कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने :

   (क) ऐसे व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए अन्य किसी व्यक्ति से शादी या विवाह संविदा की हो :

बशर्ते कि उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे शादी ऐसी व्यक्ति को और शादी के दूसरे पक्ष को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकते हैं।

6. ढ़ील देने की शक्ति :–

उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं ।

7. व्यावृत्ति :–

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी, जिनका इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध कराना अपेक्षित है ।

एडमिरल डी.के. जोशी
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वाई.एस.एम, एन.एम., वी.एस.एम. (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(कानन बाला मृदा)
सहायक सचिव (उच्च शिक्षा),
अं. तथा नि. प्रशासन ।

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय/महात्मा गाँधी राजकीय महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियमावली की अनुसूची

1	पदनाम	**सहायक प्रोफेसर**
2	पद संख्या	109* (ज.ने.रा.म.–89/म.गा.रा.म.–20) *2021 (कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय)
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क', राजपत्रित, गैर–लिपिक वर्गीय
4	वेतन स्तर और वेतनमान	स्तर–10 (रु. 57700–182400) (शैक्षिक स्तर 10 के साथ रु. 57700/– का युक्तिसंगत प्रवेश वेतन)
5	चयन पद या गैर–चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	कला, अर्थशास्त्र, मानविकी, शिक्षा, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक विज्ञान विषयों के लिए **(क)** 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित/संगत/संबद्ध विषय में 55% अंक (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ पर प्वॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ निष्णात की उपाधि। 2. यू. जी. सी. या सी. एस. आई. आर. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित समान प्रकार की परीक्षाएं जैसे एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. (राष्ट्रीय स्तरीय पात्रता परीक्षा) अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम 2009 या 2016 तथा समय–समय पर संशोधित, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएच. डी. की डिग्री प्रदान की गई है उन्हें एन. ई. टी./एस. एल. ई. टी./एस. ई. टी. से छूट दी गई है। बशर्ते जिन उम्मीदवारों ने 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण किया है उन्हें डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेश/उप–विधि/विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा तथा ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष ओहदों में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए एन. ई. टी./एस. एल. ई. टी./एस. ई. टी. की आवश्यकता से छूट दी जाएगी बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो :– क) उम्मीदवारों को पीएच.डी. डिग्री नियमित पद्धति के तहत प्रदान की गई हो ; ख) पीएच.डी. थीसिस का कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो ; ग) उम्मीदवार का एक खुली पीएच.डी. मौखिक परीक्षा का आयोजन किया गया हो ; घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो अनुसंधान पत्र प्रकाशित किया हो और उसमें से कम से कम एक किसी संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो ;

ड.) उम्मीदवार ने यू.जी.सी./आई.सी.एस.एस.आर./सी.एस.आई.आर. या अन्य किसी समान प्रकार की एजेन्सी के द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/समर्थित सम्मेलन/संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. कार्य पर आधारित कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किया हो ;
उपरोक्त (क) से (ड.) तक को संबंधित विश्वविद्यालय के पंजीकार या डीन (शैक्षिक मामले) के द्वारा प्रमाणित करना होगा।

(ख) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से पीएच.डी. की उपाधि हासिल की हो।

संगीत विषय के लिए :

(क)

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विषय में 55% अंक (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ पर प्वॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ निष्णात की उपाधि।
2. यू. जी. सी. या सी. एस. आई. आर. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित समान प्रकार की परीक्षाएं जैसे एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. (राष्ट्रीय स्तरीय पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम 2009 या 2016 तथा समय–समय पर संशोधित, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएच. डी. की डिग्री प्रदान की गई हो :

बशर्ते जिन उम्मीदवारों ने 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण किया है उन्हें डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेश/उप–विधि/विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा तथा ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष ओहदों में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए एन. ई. टी./एस. एल. ई. टी./एस. ई. टी. की आवश्यकता से छूट दी जाएगी बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो :–

क) उम्मीदवारों को पीएच.डी. डिग्री नियमित पद्धति के तहत प्रदान की गई हो ;

ख) पीएच.डी. थीसिस का कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो ;

ग) उम्मीदवार का एक खुली पीएच.डी. मौखिक परीक्षा का आयोजन किया गया हो ;

घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो अनुसंधान पत्र प्रकाशित किया हो और उसमें से कम से कम एक किसी संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो ;

ड.) उम्मीदवार ने यू.जी.सी./सी.एस.एस.आर./सी.एस.आई.आर. या अन्य किसी समान प्रकार की एजेन्सी के द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/समर्थित सम्मेलन/संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. कार्य पर आधारित कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किया हो;
उपरोक्त (क) से (ड.) तक को संबंधित विश्वविद्यालय के पंजीकार या डीन (शैक्षिक मामले) के द्वारा प्रमाणित करना होगा।

		अथवा **(ख)** स्नातक की डिग्री रखने वाले कोई पारंपरिक अथवा व्यावसायिक कलाकार जिन्होंने संबंधित विषय में उच्च प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हासिल की हो, जिन्होंने : (i) किसी प्रसिद्ध/सुविख्यात पारंपरिक मास्टर(रों) कलाकार(रों) के सानिध्य में अध्ययन किया हो। (ii) आकाशवाणी/दूरदर्शन का 'ए' ग्रेड कलाकार रहा हो। (iii) संबंधित विषयों को तर्कों के साथ विस्तार से बताने की क्षमता हो। (iv) संबंधित विषय को उदाहरण के साथ सिद्धान्त को पढ़ाने का ज्ञान रखता हो। **<u>नोट</u> : 1.** ऐसे विषयों के निष्णात कार्यक्रमों के लिए एन.ई.टी./एस. एल. ई. टी./एस. ई. टी. की आवश्यकता नहीं है जिनके लिए यू.जी. सी., सी.एस.आई.आर. ने एन.ई.टी./एस. एल. ई. टी./एस. ई. टी. आयोजित नहीं की है या एस. एल. ई. टी./एस. ई. टी. जैसे समान परीक्षा जिसे यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित की गई हो । **<u>नोट</u> : 2.** पात्रता प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–नवोन्नत वर्ग) दिव्यांग(क) अंधता एवं अल्प–दृष्टि (ख) बधिर, श्रवण अशक्तता (ग) चलन अशक्तता सहित प्रमस्तिष्क घात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित एवं मांसपेशी दुष्पोषण (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक अपंगता, विशिष्ट ज्ञान अर्जन अशक्तता तथा मानसिक रोग (ङ.) (क) से (घ) तक के अधीन आने वाले लोगों के बहु आयामी आशक्तता सहित बधिर–अंधता के अधीन आने वाले उममीदवारों को स्नातक एवं निष्णात स्तर में 5% की छूट दी जाएगी। 55% अंक (या जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया जाता है वहाँ पर प्वाइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड) की पात्रता तथा उपरोक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की रियायत केवल अर्हक अंकों के आधार पर ही अनुज्ञेय होगा और न कि किसी ग्रेस अंकों की प्रक्रिया को शामिल करते हुए। **<u>नोट</u> : 3.** भर्ती के समय भर्ती के अनुसार संबंधित/संगत विषय/विषय विनिर्धारित किया जाएगा।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ, पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	01 (एक) वर्ष
10	भर्ती की पद्धति – क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा **<u>नोट</u>** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन छुट्टी पर जाने या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए रिक्त रहने वाले रिक्तियों को केन्द्र सरकार के मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारी अधिकारियों जो पैरा 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योगयता तथा अनुभवधारी हो, में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	**वर्ग 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के लिए)** 1. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन – अध्यक्ष 2. सचिव (शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन – सदस्य 3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य – सदस्य
13	परिस्थितियाँ जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।

जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय/महात्मा गाँधी राजकीय महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद से संबंधित कार्य विवरण

1. समुदाय द्वारा उनसे अपेक्षित उत्तरदायित्व पूर्ण आचरण तथा व्यवहार का पालन करना।
2. अपने वृत्तिका की गरिमा के अनुरूप निजी जीवन को व्यवस्थित करना।
3. अध्ययन तथा अनुसंधान के माध्यम से अपने वृत्तिका का विकास कायम रखना ।
4. वृत्तिका बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भाग लेकर ज्ञान का योगदान करने के लिए स्वतंत्र और स्पष्ट विचार व्यक्त करना।
5. वृत्तिक संगठनों की सक्रिय सदस्यता को बनाए रखना और उनके माध्यम से शिक्षा तथा वृत्तिका में सुधार का प्रयास करना।
6. शिक्षण, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल , संगोष्ठियों तथा अनुसंधान कार्यों के रूप में ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन करना।
7. शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यो में साहित्यिक विचारों को स्वयं के बताने और अन्य अनैतिक व्यवहार को हतोत्साहित करना और इसमें भागीदार नहीं होना।
8. विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेश और उसके आदर्शों, मिशन सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपरा का सम्मान करना।
9. महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की शैक्षिक जिम्मेदारियों से संबंधित कार्यों, जैसे प्रवेश के लिए इच्छुक आवेदकों की सहायता करना, छात्रों को सलाह और परामर्श देना तथा साथ ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण और मूल्यांकन में सहयोग और सहायता प्रदान करना।
10. सामुदायिक सेवा के साथ–साथ विस्तार, सह–पाठ्यक्रम तथा पाठ्योत्तर गतिविधियों में भाग लेना।

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 14th December, 2021.

No. 107/2021/F.No. 1-878/2019-D-IV.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Notification No. U-14039/2/83-ANL dated 21.02.1985 and in concurrence of the UPSC vide letter F.No.3/30(02)2020-RR dated 20.09.2021 and also in supersession of all previous Notifications issued in this regards, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following amendments to the Recruitment Rules to Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial posts of **Assistant Professor** of various discipline borne in the establishment of Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidhyalaya, Port Blair and Mahatma Gandhi Govt.College, Mayabunder.

1. **Short title and commencement** :–

   (i) These Rules may be called the Andaman and Nicobar Administration Group "A" Gazetted, Non-Ministerial post of Assistant Professor Recruitment Rules, 2021.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** :–

These rules shall apply to the post specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay** :–

The number of posts, its classification and the Level of Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in paras 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** :–

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in paras 5 to 13 of the said Schedule annexed to these rules.

5. **Disqualification** :–

No person —

a) Who has entered into or contracted a marriage with any person, having a spouse living , or

b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, may, if satisfied that such marriage is permissible under any personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Powers to relax** :–

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the UPSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings** :–

Nothing in these rules shall affect the reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D.K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor (Administrator),
Andaman and Nicobar Islands.

Sd./-
(Kanan Bala Mridha)
Assistant Secretary (Hr. Edn.),
Andaman and Nicobar Administration.

SCHEDULE

Scheduled of Recruitment Rules for the Post of Assistant Professor Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidhyalaya, Port Blair and Mahatma Gandhi Govt. College, Mayabunder

1.	Name of post	**Assistant Professor**
2.	No. of post	109* (JNRM-89 / MGGC-20) *(2021) Subject to variation dependent on the workload
3.	Classification	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial
4.	Pay Level/Pay Scale	LEVEL-10 (Rs. 57700-182400) (Academic LEVEL-10 with rationalized entry pay of Rs. 57700/-)
5.	Whether selection post or non-selection post	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	For the disciplines of Arts, Commerce, Humanities, Education, Law, Social Science, Science, Language, Library Science, Physical Education. **(A)** 1. Master's Degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) in the concerned / relevant / allied subject from a recognized University/Institute. 2. Must have cleared the National Eligibility Test (NET), conducted by the UGC or the CSIR or a similar test accredited by the UGC like SLET/SET (State Level Eligibility Test) OR who are OR have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil. / Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET : Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009 shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ Bye-Laws/Regulations of the Institutions awarding the Degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfilment of the following conditions :- a) Ph.D. Degree of the candidate has been awarded in regular mode; b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners; c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted; d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a refereed journal; e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D. work in conference/seminars, sponsored/funded/supported by the UGC/ICSSR/ CSIR or any similar agency. The fulfilment of the conditions (a) to (e) as above are to be certified by the Registrar/Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

		OR **(B)** Ph.D. Degree from a foreign University/Institution. **FOR MUSIC DISCIPLINE** **(A)** 1. Master's Degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) in the relevant subject from a recognized University/Institute. 2. Must have cleared the National Eligibility Test (NET), conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET OR who are OR have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be : Provided, further the candidates registered for the Ph.D. Programme prior to July 11, 2009 shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances / Bye-Laws/Regulations of the Institutions awarding the Degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor in Universities/Colleges/ Institutions subject to the fulfilment of the following conditions:- a. Ph.D. Degree of the candidate has been awarded in regular mode; b. The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners; c. An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted; d. Candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which atleast one must be in a refereed journal; e. Candidate has presented at least two research papers based on his/her Ph.D. work in conference / seminars sponsored / funded / supported by the UGC / AICTE / ICSSR or any similar agency. The fulfillment of conditions (a) to (e) as above are to be certified by the Registrar/Dean (Academic Affairs) of the University concerned. OR **B.** A traditional or a professional artist with highly commendable professional achievement in the subject concerned having a Bachelor's Degree, who has: (i) Studied under a noted/reputed traditional Master(s)/ Artist(s) ; (ii) Has been 'A' grade artist of AIR/Doordarshan; (iii) Has the ability to explain, with logical reasoning the subject concerned; and (iv) Has adequate knowledge to teach theory with illustrations in the discipline concerned.

		NOTE : 1. NET/SLET/SET shall not be required for such Master Programmes in disciplines for which NET/ SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or Similar Test accredited by the UGC like SLET/SET. **NOTE : 2.** A relaxation of 5% shall be provided at the Bachelor's and Master's Level for the candidate belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes (OBC) (Non-Creamy Layer)/Differently-Abled (A) Blindness and Low Vision; (B) Deaf and Hard of Hearing; (C) Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured, Dwarfism, Acid Attack Victims and Muscular Dystrophy; (D) Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disabilities and Mental Illness; (E) Multiple Disabilities from amongst persons under (A) to (D) including deaf-blindness for the purpose of eligibility. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including any grace mark procedures. **NOTE : 3.** The concerned/relevant subject/discipline shall be specified as per requirement at the time of the recruitment.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Not applicable
9.	Period of probation, if any	1 (One) year
10.	Method of recruitment– whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By direct recruitment **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for a duration of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Govt. holding analogous post on a regular basis and possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under para 7. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Not applicable
12.	If a DPC exists, what is its composition ?	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for Confirmation) :** 1. Chief Secretary, A & N Administration - Chairman 2. Secretary (Education), A & N Administration - Member 3. Principal of the respective College - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC necessary.

JOB DESCRIPTION IN RESPECT OF ASSISTANT PROFESSOR, JNRM / MGGC

1. To adhere to a responsible pattern of conduct and demeanour expected to them by the community.
2. To manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession.
3. Seek to make professional growth continuous through study and research.
4. To express free and frank opinion by participation of professional meeting, seminars, conferences etc. towards the contribution of knowledge.
5. To maintain active membership of professional organisations and strive to improve education and profession through them.
6. To perform their duties in the form of teaching, tutorials, practicals, seminars and research work, conscientiously and with dedication.
7. To discourage and not indulge in plagiarism and other ethical behaviour in teaching and research.
8. To abide by the Act, Status and Ordinance of the University and to respect its ideals, vision, mission, cultural practices and tradition.
9. To co-operate and assist in carryingout the functions relating to the educational responsibilities of the College and the University, such as assisting in appraising applications for admission, advising and counselling students as well as assisting the conduct of University and College examinations, including supervision, invigilation and evaluation and
10. To participate in extension, co-curricular and extra–curricular activities, including the community service.

MGPPB— 117/Gazette/2021— 40 Copies. (ES-HCL-XII)